केबल टेलीविजन नेटवर्क में डीएएस के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 5.10.2012 को अपराहन 3.30 बजे आयोजित कार्यबल की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने कार्य बल के सदस्यों का स्वागत किया और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में डीएएस के कार्यन्वयन की दिशा में की गई प्रगति देते हुए अल्प प्रस्तुतिकरण के साथ बैठक शुरू की।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि 200 से अधिक टीवी चैनलों ने 14 से 16, 21 से 23 और 29 और 30 सितम्बर को समकालिक ढंग से ब्लैक आउट का विज्ञापन दिया। उन्होंने सूचित किया कि एक मिनट का ब्लैक आउट विज्ञापन तैयार किया गया है जो प्रात: 8 बजे, अपराहन 2 बजे सांय और सायं 8 बजे, दिन में तीन बार, 12 अक्टूबर से प्रसारित किया जाएगा और इसके अलावा, डीएवीपी के माध्यम से विकसित 3 टीवी स्पाट सभी टीवी चैनलों द्वारा दिन में 4 से 6 बार प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रिंट विज्ञापन 9 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित किया गया था और मोबाइल फोन पर संदेश भी 16 और 29 सितम्बर और 7 अक्टूबर को भेजा गया था। डीएएस से होने वाले लाभों पर केन्द्रित एक अन्य संदेश भी 14 अक्टूबर, 2012 को भेजा गया था। यह सूचित किया गया था कि पांच राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ ने अपने पैकेज को व्यापक प्रचार दिया है और इस संबंध में नेशनल स्तर के एमएसओ ने अपने विज्ञापन, डीईएन ने 10 अक्टूबर, 2012 को दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स में आईएमसीएल ने 13 अक्टूबर, 2012 को मुंबई में डीएनए समाचार पत्र में, हेथवे ने 12 अक्टूबर, 2012 को हिन्दुस्तान समाचारपत्र में, डिजिकेबल ने 13 अक्टूबर, 2012 को एशियन ऐज मुंबई में प्रकाशित किए हैं।

यह सूचित किया गया कि प्रसारकों और एमएसओ ने निम्नलिखित समय के अनुसार दिल्ली और मुंबई में चरणबद्ध ढंग से एनालॉग सिगनलों को रोकने की योजना बनायी है :

- प्रयोगात्मक आधार पर 12 अक्टूबर को 2 से 4 बजे के बीच जीईसी चैनलों को बंद करना।
- अन्य चैनल :
  - 10 अक्टूबर : अंग्रेजी फिल्में
  - 15 अक्टूबर : हिन्दी फिल्में
  - 18 अक्टूबर : हिन्दी, अंग्रेजी और बिजनस न्यूज
  - 22 अक्टूबर : जीईसीएस

मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को एसटीबी द्वारा विद्युत खपत के मुद्दे, 9 अक्टूबर को डीटीएच प्रवेश के मुद्दे और 10 अक्टूबर, 2012 को डिजिटाइजेशन की स्थिति और डाटा के स्रोत पर प्रेस रिलीज भी जारी की हैं।

संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने सदस्यों को सूचित किया कि क्षेत्र दौरों के चार दौर पूरे किए गए हैं जिनमें सभी गंदी बस्तियों को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र दौरे जमीनी स्तर की स्थिति को मानीटर करने के लिए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में भी क्षेत्र दौरों की योजना बनाई गई है। कार्यबल को सूचित किया गया था कि मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है जो शनिवारों और रविवारों सहित सभी दिनों को प्रात: 8 बजे से सायं 10 बजे तक प्रचालनात्मक रहेगा और यह 8 बजे प्रात: से सायं 3 बजे और सायं 3 बजे से सायं 10 बजे तक दो पालियों में प्रचालन करेगा। यह भी सूचित किया गया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ 13 अक्टूबर, 2012 को बैठक की गई थी जिसमें दिल्ली के अधिकारियों ने मंत्रालय को अपनी पूर्ण सहायता के लिए आश्वस्त किया।

उपरोक्त मंच से प्रतिनिधि ने एसटीबी के भिन्न-भिन्न मूल्यों का मुद्दा उठाया जो उपभोक्ताओं से मांगे जा रहे थे। जेएस(बी) ने सूचित किया कि टोल फ्री नम्बर स्थापित किया गया है जहां ऐसी शिकायतें दर्ज की जा सकती है और इनका निपटान किया जाएगा।

श्रीमती रूप शर्मा, अध्यक्ष, की ओएफआई ने कहा कि एमएसओ द्वारा घोषित पैकेजों में कुछ या अन्य प्रसिद्ध चैनल नहीं है और इसके अलावा, एसएसओ ने अलग-अलग मूल्य प्रदान नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसटीबी और पैकेजों के मूल्य उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित किए जाने चाहिए और इसमें अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा हो। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि जमीनी स्तर के केबल आपरेटर डर रहे हैं कि वे एमएसओ एकाधिकार की ओर बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष सीओएफआई द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए श्री अशोक मनसुखानी, आईएमसीएल ने कहा कि मूल्य प्रसारकों द्वारा घोषित चैनलों के मूल्यों पर आधारित है और जहां तक अलग-अलग मूल्यों का संबंध है, अभी निर्णय लिया जाना है। उन्होंने कहा कि मामले में टीआरएआई के अधिकारियों से चर्चा की गई थी और उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग चैनलों के लिए मूल्य-निर्धारण के लिए ढांचा विकसित करने से पहले टीडीएसएटी के आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि एसटीबी की 799/-रुपए की दर व्यापक रूप से प्रकाशित की जा रही है और उनकी वेबसाइटों पर किराए आदि की स्कीम भी दर्शायी जा रही है।

जेएस(बी) ने कहा कि एसटीबी के लिए किराए की स्कीमों पर अधिक सूचना होनी चाहिए और एमएसओ को केबल आपरेटरों के साथ बैठक करनी चाहिए और इस सूचना को साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र दौरों के दौरान मंत्रालय को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि केबल टीवी नेटवर्क नियमों ने यह काफी स्पष्ट किया है कि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना विश्वसनीय, सही होने चाहिए अन्यथा नियमों में यथा बतायी गई कार्रवाई की जा सकती है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समाप्त हा गई।